

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर
क्रमांक-प.6(4)(2)विविध/ए.सी.आर./अभि./19/11658-732 दिनांक- 26/8/19

आदेश:-

इस विभाग के संमसंख्यक आदेश क्रमांक 11232-325 दिनांक 20.08.19 के द्वारा राजस्थान अभियोजन अधिनस्थ सेवा के अराजपत्रित अधिकारी एवं मंत्रालयिक अधिकारी/कर्मचीरयों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

— 52 —
(एस.एन.व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विधि सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, वादकरण, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर।
5. तकनिकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
7. संस्थापन अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान। (मुख्यालय सहित)
9. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान।
10. समस्त अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जिला मुख्यालय।

26/8/19
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर